<u>प्रकरण संख्या 54/2021 श्रीमती वरदीबाई व अन्य बनाम मेघा व अन्य</u>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.05.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 11 से 15, 20 से 24, 34, 35, 39 से 41 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने अपने वाद में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि को अपने खाते कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में एक वाद 73/1996 प्रस्तुत किया, जो दिनांक 07.05.1997 को डिक्री हो गया। उक्त डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1298 दिनांक 01.08.1997 वादीगण के नाम स्वीकृत हुआ। वादी ने यह भी अंकित किया है कि वादीगण के रकबे की आंशिक पूर्ति हो जाने के बावजूद गत के मुकाबले कम पड़ रहे कुलिया रकबे की पूर्ति नहीं हो रही थी। जब वादीगण पूर्व में एक वाद पेश कर डिक्री प्राप्त कर ली है, जिसकी कोई अपील वादीगण ने नहीं की है, जिससे उक्त डिक्री से वादीगण बाध्यकारी हैं तथा उन्हें नया वाद लाने का अधिकार नहीं है। अतः उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए वादीगण ने निवेदन किया कि कमी रकबे के संबंध में वादीगण का पश्चातवर्ती वाद लाने का अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया हो, कमी रकबे संबंध में वादीगण के अधिकार सुरक्षित ही रहते हैं। कमी रकबे का ज्ञान होने पर वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है। रकबा कमी के संबंध में दोनों वादों के पक्षकारों के कथनों व अनतोष में अंतर है। इस कारण रेसज्यूडीकेटा के सिद्धान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 09.03.2021 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादीगण का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार वादीगण का वाद आदेश 2 नियम 2 (3) तथा धारा 12 जा.दी. के तहत बार्ड बाई लॉ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:43 IST
Reason: SelfAttested

मानते हुए खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील दिनांक 09.07.2021 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा, तुलसीराम डांगी, शंकरलाल प्रजापत, हर्षद जोशी, सुनील शर्मा, पंकज भटनागर, मनोज कोठारी, युगल किशोर उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश व्यास उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26.03.2021 को जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया, किन्तु दिनांक 19.04.2021 से 08.06.2021 तक लॉकडाउन होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण दृष्टिगण न्यायहित में देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि ग्राम भुवाणा के हाल आराजी नंबर 3625 रकबा 0.6200 हैक्टर, आराजी नंबर 3626 रकबा 0.2100 हैक्टर, आराजी नंबर 3627 रकबा 0.4000 हैक्टर, आराजी नंबर 3625 रकबा 0.6200 हैक्टर में कुलिया रकबे में हो रही 0.0917 हैक्टर की कमी को प्रतिवादी संख्या 1 से 54 के नाम पर दर्ज आराजी नंबर 3624 रकबा 1.5050 हैक्टर से पूरी की जावे तथा वादीगण की आराजीयात में 0.0917 हैक्टर की बढ़ोत्तरी कर बढ़ा हुआ रकबा यानि 1.3217 हैक्टर की तरमीम की जावे तथा प्रतिवादी की आराजी नंबर 3624 रकबा 1.5050 हैक्टर में से 0.0917 हैक्टर की कमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:43 IST
Reason: SelfAttested

की जाकर चालू जमाबन्दी में तरमीम की जावे। साथ ही हाल नक्शे में कम पड़े रहे रकबे 0.0917 की पैमूदगी वादीगण की आराजी नंबर 3625 की पश्चिमी दीवार से सटमा की जाकर उक्त पैमूदगी को हाल नशा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। इस वाद में 54 प्रतिवादीगण होने से अलग–अलग पक्षकारों द्वारा एक ही विषय पर आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी संख्या 17, 25, 26, 43 द्वारा दिनांक 15.02.2018 को प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात् दिनांक 03.11.2020 को खारिज कर दिया गया, जिसे किसी प्रतिवादी द्वारा चैलेन्ज नहीं किये जाने के कारण उक्त आदेश प्रभावी आदेश होकर अंतिम एवं बाध्यकारी आदेश है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 11 से 15, 20 से 24, 34, 35, 39 से 41 द्वारा दिनांक 17.11.2020 को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय स्वीकार करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि एक ही विषय वस्तु पर दोनों प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन दोनों के निर्णयों में विरोधाभाष है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने जब एक प्रार्थना पत्र पर वाद को रेसज्यूडीकेटा से बार्ड नहीं माना है तो दूसरे प्रार्थना पत्र में कैसे मान लिया कि वाद रेसज्यूडीकेटा से बार्ड होने से चलने योग्य नहीं है। दिनांक 17.11.2020 को प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर नहीं बल्कि रेसज्यूडीकेटा के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेसज्यूडीकेटा के विषय का कॉज ऑफ एक्शन से जोड कर मनगढ़न्त निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण की सुनवाई विधिवत दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2024 (2) Page 1119, RRT 2021 (2) Page 1247 प्रस्तुत की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:43 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण ने आराजी नंबर 1929/4, 1952/2 किता 2 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा भूमि अपने खाते कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में एक वाद 73/1996 प्रस्तुत किया, जो दिनांक 07.05.1997 को डिक्री हो गया, जिसके आधार पर नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो गया, किन्तु वादी ने पुनः कमी रकबे की पूर्ति हेतु दूसरा दावा कर दिया, जबकि पूर्व में उक्त आराजियात बाबत् उनका दावा दिनांक 07.05.1997 को डिक्री हो चुका है, पुनः उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर दावा किया जाना रेसज्यूडीकेटा से बाधित होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद आदेश 2 नियम 2 (3) तथा धारा 12 सी.पी.सी. के तहत बार्ड बाई लॉ मानते हुए खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया। पूर्व वाद संख्या 73/1996 में दिनांक 07.05.1997 को जो निर्णय पारित किया गया है, वह आराजी नंबर 4445/3624 में से 0.2450 हैक्टर की पूर्ति बाबत् आदेश है, जबकि दूसरे दावे में आराजी नंबर 3624 में से 0.0917 हैक्टर रकबे की मांग की गयी है। इसी प्रकार पूर्व दावा मोडा व सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था, जबकि वर्तमान दावे में मोडा पक्षकार नहीं होकर अन्य 56 पक्षकार हैं। इस प्रकार दोनों दावों में पक्षकार व आराजी नंबर भिन्न हैं। आदेश 2 नियम 2 (3) तथा धारा 12 सी.पी.सी. के अनुसार **"एक ही वाद हेतुक के बारे में एक से अधिक अनुतोष पाने का हकदार व्यक्ति ऐसे सभी अनुतोषों या उनमें से किसी के लिए वाद ला सकेगा, किन्तु यदि वह ऐसे सभी अनुतोषों के लिए वाद लाने का लोप न्यायालय की इजाजत के बिना करता है तो उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किये गये किसी भी अनुतोष के लिए वाद नहीं लायेगा।"** अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश 2 नियम 2 (3) तथा धारा 12 सी.पी.सी. के तहत वादीगण के वाद को बार्ड बाई लॉ मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में आराजी व पक्षकार भिन्न होने से आदेश 2 नियम 2 (3) तथा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:43 IST
Reason: SelfAttested

धारा 12 सी.पी.सी. इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। वाद में उठाये गये बिन्दु तथ्यों एवं विधि के मिश्रित बिन्दु हैं, जिन्हें साक्ष्यों के आधार पर ही तय किया जा सकता है, आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत दावा खारिज किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में प्रतिवादी संख्या 17, 25, 26, 43 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि वादीगण ने अपने पूर्व वाद में यह कभी उल्लेखित नहीं किया कि 0.0917 हैक्टर के कमी रकबे का वादीगण द्वारा अभित्यजन करते हो एवं अभित्यजन करने के बाद वाद प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष को सुनने के पश्चात दिनांक 03.11.2020 को खारिज किया है, जबकि को उन्हीं बिन्दुओं को लेकर प्रतिवादी संख्या 11 से 15, 20 से 24, 34, 35, 39 से 41 द्वारा दिनांक 17.11.2020 आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें भी वादीगण द्वारा अपने पूर्व के जवाब को दोहराया गया है, किन्तु इस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए वादीगण को बार्ड बाई लॉ मानकर खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि जब उन्हीं कथनों के आधार पर एक बार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था तो पुनः उन्हीं कथनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण के वाद को बार्ड बाई लॉ मानकर खारिज कर दिया है, जो अपने आपमें विरोधाभाषी हैं। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 527/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:43 IST
Reason: SelfAttested

पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:43 IST
Reason: SelfAttested